(नियम 13)

{General Rules (civil), Rule 103, Appendix 'B', From No. 9}

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ़

पीठासीन अधिकारी दमयंती कंवर आर.ए.एस.

मूर्ति मंदिर श्री गोपीनाथ जी विराजमान लोहार्गल तहसील नवलगढ राजस्थान जरिये बाद मित्र जितेन्द्र सिंह पुत्र छोटू सिंह जाति राजपूत निवासी चिराना तहसील नवलगढ।	–बनाम–	पुष्पेन्द्र पुत्र रामदेव जाति जांगिड निवासी चिराना तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू राजस्थान आदि।
किस्म मुकदमा– प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 80(2) जाब्ता दीवानी।		**मु.नं. 140/2022** **RCMS No**

आदेश	कार्यवाही विवरण	पालना के क्रमांक व दिनांक
14.10.22	प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 80 (2) सीपीसी का आवेदक की ओर से वकील श्री सम्पत सिह शेखावत् द्वारा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि दावे में प्रतिवादी नम्बर 2 तहसीलदार नवलगढ प्रकरण में आवश्यक पक्षकार होने से पक्षकार बनाया गया है। वाद प्रस्तुत करने से पूर्व दो माह का नोटिस दिया जाना आवश्यक होता है। परन्तु विवादित भूमि पर पत्थर, ईट डालकर दिन–रात 15–20 मजदूर लगाकर निर्माण कार्य चालू है तथा कृषि भूमि को अकृषि भूमि में परिवर्तित किया जारहा है इसलिए यदि दो माह का नोटिस देकर दावा पेश किया जाता है तो वादी को दावा पेश करने का औचित्य खत्म हो जावेगा। क्योंकि वादी का वाद आवश्यक प्रवृति का है तथा दो माह का नोटिस देने के बाद यदि दावा पेश किया जाता है तो वादी का दावा पेश करने का कोई औचित्य नही रहता है। ऐसी स्थिति में वादी का वाद आवश्यक प्रवृति को होने से बिना नोटिस दिये ही यह दावा पेश किया जा रहा है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 80 (2) सीपीसी का स्वीकार किया जाकर वादी को प्रतिवादी नम्बर 2 के विरूद्ध दो माह का नोटिस दिये बगैर दावा पेश करने की स्वीकृति प्रदान करे। प्रार्थना पत्र पर वकील वादी को सुना गया तथा वकील वादी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया। वादी अधिवक्ता की कथनो का मनन किया गया तथा प्रार्थना पत्र एवं वाद की प्रवृति एवं दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। प्रतिवादी नम्बर 2 राजकीय कर्मचारी है। एवं दावा अत्यन्त आवश्यक प्रकृति का है इसलिए उक्त धारा 80(2) सीपीसी का नोटिस प्रतिवादी को नही दिया गया है नोटिस बिना दावा प्रस्तुत करने की अनुमति दिया जाना न्यायोचित एवं आवश्यक है। फलस्वरूप वादी का प्रार्थना पत्र प्रतिवादीगण संख्या 02 की आपतियों को सुरक्षित रखते हुये स्वीकार किया जाता है तथा वादी को दावा पेश करने की अनुमति प्रदान की जाती है। फैसल शुमार कर दर्ज नम्बर से कम हो तथा मूल वाद के साथ [illegible] हो। निर्णय आज दिनांक 14.10.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया [illegible] Signature Not Verified Digitally signed by Damyanti Kanwar Date: 2023.01.11 15:33:49 IST Reason: SelfAttested सहायक कलक्टर (फा.ट्रे.) नवलगढ़ जिला झुन्झुनू	